

This Bill arises out of the supplementary appropriation charged on the Consolidated Fund of India and Demands voted by the Lok Sabha on December 17, 1996. These involve a gross expenditure of Rs. 3,064 crores and 70 lakhs. The gross additional requirement comprises Rs. 1,200 crores for Defence services, Rs. 650 crores for special Central assistance for Jammu and Kashmir Government for financing its Plan, Rs. 150 crores for additional expenditure on space research programmes, Rs. 1,000 crores for additional Central assistance to States for externally aided projects, Rs. 34 crores and 12 lakhs for making payment against the external assistance for wind mill projects and Rs. 30 crores and 50 lakhs for others. The details of supplementary grants are given in the document which was laid on the Table of the House on March 6, 1996. The gross expenditure is matched by savings recoveries or increased receipts to the extent of Rs. 1,064 crores and 70 lakhs. Thus the proposal will entail a cash out-go of Rs. 2,000 crores.

The Question was Proposed

श्री बंगारू लक्ष्मण (गुजरात): धन्यवाद महोदया, ऐग्रीप्रिएशन बिल जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है, मैं आर्थिक स्थिति के उन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहता हूँ जहाँ पिछले 6 महीने से विशेषतः मोर्चा सरकार के आने के बाद जो आर्थिक दिशा में ढिलाई आयी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटा है, इन्फ्लेक्शन स्लो डाउन हो गया है, हमारे एक्सपोर्ट में कमी आयी है, एजेंशियल कम्प्लेडिटीज के दाम बढ़ गये हैं, और कुछ फ्रंट्स पर भी हम लोग पीछे रह गये हैं, मैं उन विषयों पर नहीं जाऊंगा। उन पर शायद और लोग बोलेंगे लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिस विषय पर....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Laxman, will you yield for a minute? I have to make an announcement.

**WELCOME TO BANGLADESH
FOREIGN MINISTER**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): We have with us today His Excellency, Mr. Abdus Samad Azad, Member of Parliament and Foreign Minister of the People's Republic of Bangladesh and his

delegation, who are presently sitting in the Special Box to witness the proceedings of the Rajya Sabha. We extend our hearty welcome to His Excellency and we hope that they will have a nice stay in our country.

**THE APPROPRIATION (No. 4) BILL,
1996 (Contd.)**

श्री बंगारू लक्ष्मण: मैं सदन और सरकार का ध्यान विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो स्थिति है, उस ओर दिलाना चाहूंगा। इसकी चर्चा इस सदन में पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है। आपने इस बजट के अंदर वेलफेयर डिपार्टमेंट को पैसा देने की बात कही है, स्टेट-ट्रांसफर के लिए भी पैसे की बात कही है, इन्वायरनमेंट के लिए भी पैसे की बात कही है, एग्रीकल्चर के लिए भी पैसे की बात कही है। इसलिए मैं केवल एक ही मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य से जब से मैं इस सदन के अन्दर आया हूँ तब से मैंने कई विषयों पर चर्चाएं तो सुनी हैं मजदूरों के बारे में विशेषतया आर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहने वाले मजदूरों या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में चर्चा की है लेकिन जो समाज का जो 25 परसेंट हिस्सा है, जिनकी आबादी एक चौथाई है, उन एक चौथाई वाली आबादी के लोगों की समस्याओं की चर्चा इस सदन में करने का मौका नहीं मिला है। मैंने यहां के वरिष्ठ सांसदों से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पुरे पता चला कि पिछले तीन सालों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर इस सदन में चर्चा नहीं हो पाई है। इसलिए मैंने एक बार शॉर्ट इयूरेशन डिस्कशन के लिए मोशन भी दिया था किन्तु अन्य विषयों के कारण वह नहीं हो पाया।

महोदया, हम सब लोग यह जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान के अंदर धारा-16, धारा-17, 330 से 335 तक और अन्य धाराओं के अन्दर अनेक प्रकार की सुरक्षाएं, गारन्टीज प्रदान की गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपने संविधान की 50वीं सालगिरह की स्वर्ण जयन्ती मनाई है। पचास सालों से इस संविधान के एक्सपेरिमेंट के बाद क्या स्थिति बनी है इस पर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।

जैसा कि आपको मालूम है कि कई शताब्दियों पहले इस समाज के अंदर जो कुरीतियां आई हैं उनके कारण ये लोग समाज से अलग हुए, जनसाधारण से इनको अलग रखा गया। इनके साथ अनेक प्रकार के भेदभाव बरते गये,

डिस्ट्रिब्यूशन हुआ, अनेक प्रकार के कुकृत्य किये गये और इन्हें समाज से अलग रखा गया। इस बात को ध्यान में रखकर जब संविधान बना था तो इनको नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई थी। यह भी कहा गया था कि इनके तीव्रगति से आर्थिक विकास के लिए सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां पंचवर्षीय योजनाएं बनीं और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कुछ पैसों का आबंटन भी हुआ। यह अलग बात है कि जो पहली तीन-चार पंचवर्षीय योजनाएं रहीं उनमें जो पैसा आबंटित हुआ वह बहुत कम था। यों कहा जाए कि कुल आबंटन में से एक प्रतिशत आबंटन भी इन वर्गों के लिए नहीं मिला। उसके बाद यह विचार हुआ कि जिस धीमी गति से हम लोग इन वर्गों के विकास के लिए काम कर रहे हैं इससे तो काम नहीं चलेगा और यह सोचा गया कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ट्राइबल सब-प्लान बनाकर उन्हें पैसा देने की बात यहां चली। यह सोचा गया कि अगली दो-तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो आदिवासी समाज है, जो जंगलों में, वनों में रहने वाला समाज है उनका विकास हो सके और बाकी लोगों के बराबर वे लोग आ जाए। इससे उनका आर्थिक दृष्टि से विकास होगा, शैक्षणिक दृष्टि से विकास होगा, हर प्रकार से उनका विकास होगा। यह सोचकर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक ट्राइबल सब-प्लान की शुरुआत की गई। ट्राइबल सब-प्लान की जब शुरुआत हुई तो उस समय यह कल्पना की गई थी कि जनसंख्या के आधार पर उनके विकास के लिए योजनाओं पर पैसा खर्च किया जाएगा। राज्य सरकारों को भी अपनी योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में जनसंख्या के अनुपात में उनके विकास के लिए पैसा आबंटित करना चाहिए। इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट हैं उनको भी जनसंख्या के आधार पर पैसा खर्च करने के लिए कहा गया। लेकिन पांचवीं पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और नौवीं पंचवर्षीय योजना में हम जा रहे हैं, आज तक का अनुभव क्या है? अनुभव यह बताता है कि जनजातियों का जो समाज है उसके विकास के लिए जो पैसा दिया गया वह उनको जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला। केवल 50 प्रतिशत आबंटन उनके लिए हो पाया है। इस पर जो खर्चा हुआ है वह बहुत कम हुआ है। अभी भी अनुसूचित जन जाति के जो लोग हैं वह गरीबी की हालत में हैं। जैसे हम उनको पहले देखा करते थे उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लोग हैं। शैड्युल्ड कास्ट लोगों के बारे में 1979 में यह सोचा गया था कि उनके लिए एक नई योजना होनी चाहिए।

तीव्र गति से उनका विकास हो इसके लिए स्पेशल कम्प्लेमेंट प्लान की कल्पना की गई। स्पेशल कम्प्लेमेंट प्लान के अन्तर्गत उस समय यह तय हुआ था कि जनसंख्या के अनुपात में उनको पैसा दिया जाएगा। वार्षिक योजनाओं में भी दिया जाएगा और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भी यह पैसा दिया जाएगा। यह योजना बनी थी। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि हमारी तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी होने के बाद भी आज स्थिति वैसी ही है। जहां छठी पंचवर्षीय योजना में 15 प्रतिशत आबंटन करना चाहिए था वहां मात्र 7.66 प्रतिशत आबंटन किया गया और इतना खर्चा भी नहीं हुआ। उसमें से खर्चा केवल 6.32 प्रतिशत हुआ। इसी प्रकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 8.27 प्रतिशत उनके लिए आबंटित किया गया जिसमें से खर्चा मात्र 7.74 हुआ। जब आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उस समय सरकार की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए। इनमें ट्राइबल सब-प्लान भी है, स्पेशल कम्प्लेमेंट प्लान भी है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस भी है, आई.आर.डी.पी. है और भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों का आर्थिक लाभ उन को नहीं मिला। इन कार्यक्रमों से कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं? एक विवेचन आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमिशन ने किया था और इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की है—
Report of the Working Group of Development and Welfare of Scheduled Castes During the Eighth Five Year Plan.

इस आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में योजना आयोग ने स्वीकार किया कि:

"Considering the revised poverty norms and the inflation factor, the percentage of persons below the poverty line would not be less than 80 per cent."

6.00 P.M.

अब उसमें से उन्होंने यह भी कहा है कि भिन्न-भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जिनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश की थी उनमें से कितने प्रतिशत लोग फिर दोबारा गरीबी रेखा के नीचे चले गये हैं। आठवीं योजना के समय यह बिलकुल साफ था कि इस देश का जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का समाज है, उसमें से 80 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इसलिये सीरियसली विचार करने की आवश्यकता थी कि जनसंख्या के अनुपात में इस स्पेशल कंप्लेमेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान के लिये एलोकेशन होती लेकिन अनुभव यह भी

बताता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी जहां एलोकेशन होती लेकिन अनुभव यह भी बताता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी जहां एलोकेशन 10 से 11 प्रतिशत मात्र हुआ, 17 प्रतिशत जनसंख्या है 1991 की जनगणना के हिसाब से 16.8 प्रतिशत है, जिस जनगणना के अंदर नवबौद्ध जिनको 1990 में अनुसूचित जाति के साथ जोड़ा गया, उनकी संख्या अनुसूचित जाति में नहीं ली गई थी। अगर उनकी जनसंख्या को भी लिया जाए तो यह 17 प्रतिशत होता है। इस प्रकार से यह जनजातियों की संख्या 8.16 प्रतिशत थी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 25 प्रतिशत जनसंख्या थी। जहां 25 प्रतिशत के लिये आबंटन करना या वहां पर केवल 10 प्रतिशत आबंटन हुआ और खर्च उससे भी कम हुआ, 9 प्रतिशत हुआ। अगर सरकार 50 साल इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाती रहे तो मुझे विश्वास है कि अगले दो सौ सालों में भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग औरों के बराबर नहीं आ सकेंगे। इस प्रकार कि स्थिति है। कई राज्यों में ऐसी स्थिति है जहां पर दूसरे राज्यों में 16 प्रतिशत करने की जगह पर 10 से 11 प्रतिशत कर रहे हैं, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां 50 प्रतिशत से भी कम आबंटन हो रहा है। मजे की बात यह है कि जहां आबंटन हो रहा है, वहां पर पैसे का हाइवर्शन भी हो जाता है। अनुसूचित जाति के लोगों पर यह पैसा खर्च नहीं होता है। यह पैसा और किसी काम में लगा दिया जाता है। इस प्रकार की अनेकों रिपोर्टें सरकार के सामने आई हैं। प्लानिंग पार्लियामेण्टरी कमेटी फर शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड बेलफेयर ने भी कई रिपोर्ट दी है। शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन ने भी इस प्रकार की रिपोर्ट दी हैं जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईमानदारी के साथ गरीबी दूर करने की कोशिश नहीं हो रही है और यही रवैया चलता रहा है। अब तो राज्यों को बार-बार केन्द्र की तरफ से यह कहा जाता है कि योजना आयोग का जो पैसा है या जो वार्षिक योजना का पैसा है, उसको जनसंख्या के अनुपात से खर्च करिये। लेकिन जब केन्द्र सरकार यह बात कह देती है तो राज्य केन्द्र की तरफ देखते हैं। केन्द्र की क्या हालत है। केन्द्र सरकार के अंदर यह देखा जाए तो यहां 30 मंत्रालय काम कर रहे हैं और 30 मंत्रालयों में से मुश्किल से कोई 13 मंत्रालय इस प्रकार के हैं जो थोड़ा बहुत आबंटन कर रहे हैं। यह भी जो आबंटन करते हैं, जनसंख्या के अनुपात में आबंटन नहीं कर रहे हैं, कहीं 5 प्रतिशत यहीं 2 प्रतिशत, कहीं 0.5 प्रतिशत का भी आबंटन हो रहा है। इस प्रकार से जो यह काम हो रहा है यहां पर ईमानदारी की बात नहीं हो रही है। अगर यह इस प्रकार से चलता रहा तो हम निश्चित रूप से गरीबी की रेखा से

ऊपर इन वर्गों के लोगों को नहीं ला पाएंगे, आठवीं पंचवर्षीय योजना में...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिंह): अब आप समाप्त करें।

श्री बंगरू लक्ष्मण: करेंगे।

एक माननीय सदस्य मेहरबानी कीजिये (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिंह): आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। कृपया आप शांत रहिए। आप कृपा करके समाप्त करें।

श्री बंगरू लक्ष्मण: हम समाप्त करेंगे। हमें अपना विषय तो रखने दीजिये। हमने पहली ही कहा है कि तीन साल से इस विषय पर चर्चा नहीं हुई।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिंह): लक्ष्मण जी, विषय बहुत गंभीर है, मैं मानती हूँ लेकिन हमें तो समय की सीमा के अंदर काम करना है।

श्री बंगरू लक्ष्मण: वह तो सही है लेकिन चार घंटे इसके लिये समय दिया हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिंह): आपके दल का 45 मिनट समय है। आपके तीन वक्ता हैं। अब आपको अगर सभी समय देने को तैयार हैं, सभी साथी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बंगरू लक्ष्मण: नहीं नहीं। मैं उनको भी समय दूंगा।

मैं यह कह रहा हूँ कि केन्द्र सरकार खुद इस बात पर अमल नहीं करती है तो राज्यों को कहने का कोई नैतिक अधिकार केन्द्र सरकार का नहीं बनता है। सबसे बड़ी मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो फाइनेंस देने वाली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री एनुअल प्लान्स प्रोसेस करती है या बजट सेशन करती है उस समय यह इग्नोर क्यों नहीं करती कि सरकार का जो मानवधिकार कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। जो दो प्रमुख मंत्रालय हैं एक तो प्लानिंग मिनिस्ट्री और दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री, मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ। यहां शुरुआत नहीं हो रही है इसलिये राज्यों में भी शुरुआत नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम सालों साल इसी प्रकार से चलते जा रहे हैं। इस सरकार ने सामाजिक न्याय की बात कही है। गरीबों की सरकार है यह भी बात बार-बार दोहराते रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया। इस साल जो बजट आया उसके अंदर गरीबी दूर करने की दृष्टि से, सोशल सेक्टर की दृष्टि से कटौती की है। पिछले साल के बजट की तुलना में इस वर्ष निश्चित रूप से इसमें

कटौती हुई है अब कहां गरीबी दूर होगी, कहां ये गरीबों के कार्यक्रम लेंगे, कहां ये सामाजिक न्याय बांटने की बात करेंगे? इसलिये महोदया, मेरा निवेदन है आपके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि कम से कम यह जो नवीं पंचवर्षीय योजना आने वाली है, उस नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप यह इनश्योर कीजिये। अगर आपको ये कार्यक्रम ठीक नहीं लगते तो कोई नये कार्य क्रम लाइये। लेकिन आप कम से कम इस देश को, इस राष्ट्र को आश्वासन तो दीजिए कि इतने दिनों में यह सारा समाप्त हो जाएगा। बार-बार यह सुनते आ रहे हैं कि गरीबी खत्म होगी। लेकिन हर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में यह सुना जाता है कि 80 परसेंट हो गयी है या 90 परसेंट हो गयी है। अभी भी प्लानिंग कमीशन ने जो लकड़वाला रिपोर्ट को, लकड़वाला सिस्टम को माना है उसमें से भी यह बात साफ हो गयी है कि जहां पर 19 परसेंट जनरल पावर्टी लाइन थी वहां 39 परसेंट हो गयी है। इसी से यह कल्पना होती है कि जो कमजोर तबके के टारगेट ग्रुप्स हैं उनकी क्या हालत होगी। इसलिये मेरा उनसे एक अनुरोध है। यह बजट तो शायद आपका पास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा। लेकिन इस पर कहीं न कहीं ध्यान दीजिये। यह अगर नहीं देंगे तो इस देश के अंदर यह जो आपस में टकराव की स्थिति है, एक संघर्ष की स्थिति है वह हमेशा बनी रहेगी और इसको दूर करने के विषय में आप कुछ नये सिरे से सोचिये। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, जो विधेयक माननीय वित्त मंत्री महोदय ने लोकसभा से पारित होने के पश्चात् यहां विचारार्थ आज प्रस्तुत किया है उस संदर्भ में बोलने के लिये मैं खड़ा हूं। मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि इसमें कुल 20 मांगें हैं जिनके मुताबिक 3,064.70 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे जिनमें से 1,064.70 करोड़ रुपए बचतीं। वसूलियों और बढ़ी हुई प्राप्तियों से पूरे किये जाएंगे अर्थात् कुल मिलाकर इसके अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपया सरकारी कोष से खर्च होगा। सर्वप्रथम तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब वे इस चर्चा का उत्तर दे तो कम से कम इसका ब्यौरा दें कि ये बचतें कहां से आएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चालू योजनाएं हैं उन्हीं में से आप कटौती करेंगे? यह 1,064.70 करोड़ रुपया कहां से आएगा, यह मैं जानना चाहता हूं। महोदया, इस बजट को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। इसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश पैसा या तो अदालतों के आदेशों मुताबिक दिया जाना है विशेषकर उद्योग और भूतल परिवहन की जो मांग है उनमें सारा का सारा अतिरिक्त पैसा जो मंत्री

जी मांग रहे हैं वह सारा का सारा अदालतों के आदेशों के मुताबिक भुगतान किया जाना है। या फिर वेतन में हुई वृद्धि पर खर्च किया जाएगा और विकास कार्यों पर तो नाममात्र ही पैसा खर्च होगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज देश में वित्तीय संकट है।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): महेश्वर सिंह जी, मुआफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रही हूं आपके साथी ने 30 मिनट का समय लिया और अब 15 मिनट वक्त बच गया। आप दो वक्ता हैं तो उसी हिसाब से बोलिये।

श्री महेश्वर सिंह: मैडम, मेरा एक विनम्र निवेदन है... (व्यवधान) कल आपने बड़ी उदारता से स्पेशल मेशन में दस-दस मिनट दिए और आज तो इसके लिए चार घंटे का समय मिला है, इसलिए आज भी थोड़ी उदात्ता बरतिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपके दल के 45 मिनट हैं। इसमें से आपके साथी ने 30 मिनट ले लिए हैं।

श्री महेश्वर सिंह: ठीक है, महोदया, मैं कह रहा था कि वित्तीय संकट तो है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास कार्य न हो। अच्छा होगा कि जो भारी-भरकम प्रशासन यहां बैठा है उसकी तरफ सरकार ध्यान दे। अच्छा होगा कि जो आज पेट्रोल पर अंधा-धुंध प्रशासन खर्च करता है उस पर ध्यान दें। आज केन्द्र में 40 लाख कर्मचारी हैं, इस ओर ध्यान दीजिए। बचत करिए, ताकि विकास कार्यों पर ज्यादा खर्च हो सकें।

महोदया, मैं मंत्री महोदय का ध्यान वित्त मंत्रालय की मांग की तरफ ले जाना चाहूंगा उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की पैकेज के लिए 765 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहां तक पहाड़ी प्रांतों का संबंध है, उनकी ओर भी ध्यान दीजिए। पहले देश के सारे के सारे पहाड़ी प्रांत स्पेशल कैटेगरी में थे और जो भी उनका फलतः खर्चा हो जाता था, उसको सरकार राइट ऑफ करती थी, ताकि वे अपने विकास कार्यों की तरफ ध्यान दे सकें। वित्त आयोग की अनुशंसा के उपरांत सारे पहाड़ी प्रांतों को स्पेशल कैटेगरी से निकाला गया है, जिसके फलस्वरूप वहां भी आज आर्थिक संकट है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि तीन-चार वर्ष पूर्व यही प्लानिंग मिनिस्टर ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि पहाड़ों

के विकास के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, कृपया उस ओर ध्यान दें।

साथ में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान, क्योंकि यह मांग बिल्कुल सीधी-सीधी उनसे संबंधित है, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की ओर ले जाना चाहूंगा, विशेषकर लाहौल-सपिथी की ओर, जहां होप्स पैदा होता है। उस फूल का इस्तेमाल त्रिचूबरी वाले बीयर बनाने में करते हैं। लेकिन जब से गैट समझौता आया है उनका वह फूल भी नहीं बिक रहा है, क्योंकि आपने जो इंपोर्ट दी ड्यूटी थी वह 110 से घटकर 40 प्रतिशत कर दी है। फलस्वरूप दो साल का जो उनका उत्पादन है 154 टन, आज वह कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है, जहां कि जनजातीय क्षेत्र के लोग 35 हजार रुपए महीना वहां किराया दे रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम इसकी सेल को वह सुनिश्चित करें, क्योंकि यह जनजातीय क्षेत्र के लोगों का मामला है। वे अपना जीवन यापन आलू और होप्स पैदा करके करते हैं। वे देश के प्रहरी हैं। वे चाईना बॉर्डर पर हैं। अगर आप इसके लिये कुछ नहीं करेंगे तो आपके लिये तो वह दो करोड़ कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिये दो करोड़ बहुत होता है, तो मंत्री जी या तो फिर आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से जो यहां के बीयर के कारखाने वाले हैं, उनको बाध्य करें कि पहले वे इस होप्स को खरीदें ताकि उनकी उपज बिक सके। सिर्फ दो करोड़ का सवाल है या फिर कम से कम जो यह आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है इसको आप बढ़ाएँ, ताकि पहले जो देश में उत्पादन होता है उसका उपयोग बीयर वाले करें। उसके बाद ही इंपोर्ट की अनुमति हो।

महोदय, इसके उपरान्त मैं मंत्री महोदय का ध्यान मांग संख्या 22 की ओर ले जाना चाहूंगा जिसमें सिर्फ टोकन प्रोजेक्ट दो करोड़ अतिरिक्त पैसा मांगा गया है। महोदय, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आज देश में लगभग 320 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उसमें 1/3 हिस्सा अर्थात् 130 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है, जिस पर वन लगाना आवश्यक है। जिस प्रकार से आज वनों का अंधा-धुंध कटन हो रहा है उस हिसाब से एक दिन सारे का सारा देश और यह दिल्ली भी आपकी मरुस्थल बन जाएगी। इसलिये जंगलों की रक्षा करना आवश्यक है। मंत्री महोदय, यह ठीक है कि जहां तक वन रोपण का संबंध है, हर जगह वन महोत्सव होते हैं। लाखों पीछे लगाए जाते हैं, लेकिन उसका रेट ऑफ़ सर्वाइवल क्या है, यह देखना जरूरी है? अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो

यू.एस. ऐंड से एक हेलीकॉप्टर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को मिला था। ताकि वह फायर फाइटिंग में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन दो-तीन वर्ष पहले उस का क्या हुआ, वह तो माननीय वित्त मंत्री जी भी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में उस का एअर क्रैश हुआ। महोदय, मैं नहीं जानता कि वह फायर फाइटिंग में कितना इस्तेमाल हुआ, लेकिन वनों की आग, दावानल एक बड़ा भारी संकट बन गयी है। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में आजकल आप देखेंगे कि सुबह उड़ने नहीं जा रही है। उस का कारण यह है कि सारे जंगलों में आग लगी है और उसे बुझाने का कोई प्रबंध नहीं है। महोदय, सड़कों से वह जंगल जुड़े नहीं हैं और वहां के लिए वह हेलीकॉप्टर लिया गया था ताकि उस से फायर फाइटिंग का काम लिया जा सके। महोदय, मैं फिर कहूंगा कि वह फायर फाइटिंग में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। पूर्व मंत्री कहां इस्तेमाल करते रहे, यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम-से-कम अब आप एक हेलिकॉप्टर का प्रावधान करिए क्योंकि आज फायर फाइटिंग बहुत आवश्यक है और आज वहां इतना धुंध है कि प्लेन नहीं उतर पा रहे हैं। वहां जंगल जल रहे हैं और सरकार हिमाचल में बिल्कुल असहाय होकर खड़ी है। मैं इस ओर भी आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, कल यहां एक माननीय सदस्य ने राजस्थान का एक विषय उठाया। मैं यह मानता हूं कि जहां तक वन्य प्राणियों का संबंध है, उन का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी निश्चित करना होगा कि वन्य प्रणी की पॉपुलेशन अगर इतनी ज्यादा बढ़ जाये कि वह इंसान के लिए संकट पैदा करे, तो क्या किया जाये? महोदय, कल उन्होंने नील गाय की बात कही और जबर्दस्ती उस में भारतीय जनता पार्टी को जोड़ना चाहिए। महोदय, आप को याद होगा कि मैंने उस समय भी कहा था कि नील गाय और गाय में अंतर है, लेकिन अगर आज वह राजस्थान में लोगों की पूरी-पूरी फसल तबाह कर रही है तो किसान क्या करें? क्या किसान अपनी फसल को नष्ट होता देखें? वह गाय नहीं है और वह माननीय सदस्य इसे जानबूझकर "गऊ हत्या" के साथ जोड़ना चाह रहे थे। मैं आप के माध्यम से वन मंत्री जी से भी मांग करना चाहूंगा कि आज जंगली जानवर जिस तरह से पहाड़ी और दूसरी जगहों पर लोगों को खा रहे हैं, तो क्या लोग वहां उन के सामने आत्म-समर्पण कर दें? वह अपने जीवन की रक्षा न करें? जहां आप को वन्य प्राणी की रक्षा करनी है वहीं इंसान की भी रक्षा करनी होगी। महोदय, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदया, जहाँ तक मांग संख्या-48 का संबंध है यह मानव संसाधन मंत्रालय से संबंधित है। यह सही है कि आज डी.पी.ई.पी. प्रोग्राम, "खाइट" प्रोग्राम, प्रौढ़ शिक्षा और मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत करोड़ों रुपया जा रहा है। महोदया, आज आवश्यकता है प्राथमिक शिक्षा की। मिड डे मील में सिर्फ 3 किलो चावल के लिए छेदे-छेदे बच्चों को सिविल सप्लाय की दुकानों में जाकर खड़ा होना पड़ता है और घंटों खड़े होने के बाद तीन किलो राशन मिलता है। उस का क्या मतलब है? आप पहले अध्यापकों की व्यवस्था करिए और अच्छे भवन की व्यवस्था करिए। महोदया, बाकी जगह की बात मैं नहीं जाना, पहाड़ों में तो प्रौढ़ शिक्षा को "फ्रॉड शिक्षा" कहा जाता है। जहाँ अगली जनरेशन अनपढ़ बनती जा रही है, वहाँ आप बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं और वे कितने घंटे पढ़ रहे हैं? वह तो गाँवों से आई हुई एप्लीकेशन से साबित हो जाता है कि कितने अंगूठे और कितने दस्तखत हुए पड़े हैं?

महोदया, इस के बाद मैं मंत्री महोदय का ध्यान सर्फेस ट्रांसपोर्ट की ओर ले जाना चाहता हूँ। भूतल परिवहन के लिए आप ने 4 करोड़ कुछ रुपया मांगा है। वह सारा-का-सारा अदायतों के आदेश के मुताबिक मांगा है। इस का मतलब है, विकास करने के लिए सून्य? महोदया, आज राष्ट्रीय उच्च मार्गों की क्या हालत है? उस के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा? सप्लीमेंटरी बजट का अर्थ होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाये तो प्रावधान किया जाता है और उस के लिए खर्च करना होता है। अब जैसे प्राकृतिक आपदा से-बाढ़ से फसल नष्ट हो गयी या खराब हो गयी तो उस ओर कभी भी सरकार का ध्यान नहीं जाएगा। महोदया, सड़कें तो आखिर हमारे जीवन की रेखाएँ हैं, विशेषकर पहाड़ी सड़कें और इसीलिए इस सदन में और दूसरे सदन में सर्वसम्मति से सेंट्रल रोड फंड में वृद्धि करने की दृष्टि से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। पिछली बार मैंने इसी सदन में आधे घंटे की चर्चा कराई थी और उस का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने कहा था कि यह सही है कि सेंट्रल रोड फंड में वृद्धि के लिए यहाँ एक प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन वह अभी तक वित्त मंत्रालय में पड़ा है। फिर वह कैबिनेट में डिस्कस होगा। इसलिए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करिए क्योंकि वह प्रस्ताव दोनों सदन में पास हुआ है। जब तक सड़कें नहीं बनेंगी विकास कार्य नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैं आप से मांग करना चाहूँगा कि इस ओर भी ध्यान दीजिए।

महोदया, अंत में मैं एक बात और कहूँगा कि लाहौर

स्थिति देश के दूसरे भागों से रोहतांग दर्रे के माध्यम से कट रहा है और रोहतांग दर्रे पर जब बर्फ पड़ जाती है तो 6 महीने तक लाहौर स्थिति का व्यक्ति देश के बाकी भागों से कट जाता है। वर्ष 1971 में तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदय ने वहाँ जाकर एक घोषणा की थी कि रोहतांग दर्रे के नीचे टनल बनायी जाएगी ताकि 45 किलोमीटर का जो फसला है, वह कम हो जाएगा और केवल दो या तीन महीने बाकी देश के भागों से कट रहेगा, लेकिन टनल से होकर ट्रैफिक चलता रहेगा।

खेद का विषय है कि उसके बाद राइट कंपनी को सर्वेक्षण का कार्य दिया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई, दोनों तरफ से एप्रोच रोड बन गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह टनल नहीं बन सकती क्योंकि इसके ऊपर साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया खर्च होगा। महोदया, यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि यह टनल न सिर्फ उस जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए ही बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इससे लेह-लद्दाख का शॉर्टेस्ट रूट बनता है, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ से होकर कुल्तू और रोहतांग दर्रे से लेह-लद्दाख जाता है। इससे 45 किलोमीटर की लंबाई की कमी होगी। इसीलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री से यह निवेदन करना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से इस टनल को बनाने के लिए तुरन्त धनराशि प्रदान की जाए।

महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): धन्यवाद। समय तो आपके दल का पूरा हो ही गया है, लेकिन राधबजी आप भी दो मिनट बोल लीजिए। दो मिनट बोलिए, ज्यादा नहीं बोलिए।

श्री राधबजी (मध्य प्रदेश): मैडम, मैं सिर्फ पांच मिनट लूँगा बिल्कुल तेजी से बोलूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): नहीं, दो मिनट से ज्यादा न बोलिए।

श्री राधबजी: महोदया, जो विनियोग विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ है, उस पर बोलना चाहूँगा। वास्तव में विनियोग विधेयक और पूरक बजट के बारे में अवधारणा यह है कि जिन खर्चों की कल्पना बजट के समय में नहीं की जा सकती, ऐसे खर्चों के लिए प्रावधान किया जाए। अचानक कोई सूखा पड़ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं आपदा आ जाए, कोई नया विचार आ जाए, उनके लिए

विनियोग विधेयक में प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इस पूरक बजट को पढ़ने से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसे कर्षकों के लिए कोई धनराशि मांगी गई हो। यह जो 3064 करोड़ रुपए की धनराशि मांगी गई है, इसमें अधिकांश मदें ऐसी हैं, जिनकी कल्पना पहले से ही की जा सकती थी, लेकिन यह कल्पना क्यों नहीं की गई? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त व्यय 150 करोड़, यह तो पहले से ही सोचा जा सकता था। इसी प्रकार से आई.डी.पी.एल. को वेतन मजदूरी के लिए 3.12 करोड़, आई.टी.आई. को रिसर्च के लिए 18.18 करोड़, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए 39 करोड़, भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए 4 करोड़, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को अतिरिक्त अनुदान सहायता के लिए 50 करोड़, सफ़ाई कर्मियों की नियुक्ति एवं पुनर्वास के लिए 90 करोड़, यह सारे के सारे खर्च ऐसे हैं जिनकी कल्पना बजट के पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त ताबड़-तोड़ में बजट बनाया गया। यह इसलिए भी होता है कि वहां पर खर्च कम दिखाते हैं तो घाटा कम दिखे। अब यह 2000 करोड़ रुपया आप अतिरिक्त मांग रहे हैं, यह तो घाटे में जाएगा। आपने मूल बजट में इसको इसलिए शामिल नहीं किया ताकि घाटा कम दिखे। आज जो आप 2000 करोड़ बता रहे हैं, वह आगे जाकर कितना हो जाएगा, क्या इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता?

महोदया, दूसरी बात यह है कि कभी कभी राजनैतिक कारणों से यह पूरक बजट आते हैं। इस बजट से तो कम से कम यह साफ जाहिर होता है क्योंकि कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जी का प्रेम तब उमड़ा, जब बजट और रेल बजट पास हो गए थे। उसके पहले वहां की सड़क समझ में नहीं आई थी, उसके पहले वहां रेल जाना चाहिए, यह बात समझ में नहीं आई थी। यह 6.5 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने केवल इसलिए करवाया क्योंकि चुनाव सामने थे। दुर्भाग्य से वह चुनाव हार गए, चुनाव तो वह जीत नहीं सके, लेकिन उसके पीछे धारणा यही थी कि साढ़े छह सौ करोड़ रुपया कश्मीर के पास जाए, वह पिछड़ा हुआ है और आगे उसको बढ़ाना चाहिए, वहां सड़कें बननी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि अमरनाथ, जो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थान है, हिन्दुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, वहां पर सड़क बनाने के लिए आपने इन 6.5 सौ करोड़ रुपए में हिस्सा क्यों नहीं रखा? उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, उस सड़क को इसमें शामिल होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): राधवजी,

आप जो सूची बता रहे हैं वह सूची लिखकर आप मंत्री जी को दे दीजिए। वह सब जवाब दे देंगे।

श्री राधवजी: केवल दो मिनट में खत्म कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सूखे से इतनी हालत खराब हो गई है कि वहां लोग भूखे मर रहे हैं। समाचार पत्रों में खूब छप रहा है, लेकिन उसके लिए एक पैसे का भी बजट में प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक सौ करोड़ रुपया मांगा है, लेकिन एक सौ करोड़ तो क्या एक लाख रुपया भी इस सरकार ने नहीं दिया है। यह इस सरकार की निर्दयता का प्रमाण है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब आप बैठिए।

श्री राधवजी: इसी प्रकार से विद्युत के लिए धन की आवश्यकता है। आज पूरे देश में विद्युत की कमी है, लेकिन विद्युत की व्यवस्था बनाने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए पैसे की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए एक पैसे का भी प्रावधान नहीं है।

महोदया, एक दो बातें और कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आपने कॉमन एफ्ल्युएंट प्लांट लगाने के लिए 21 करोड़ रुपया मांगा है। मैं चाहता हूँ कि यह जो प्लांट है आप मंडी दीप में लगाइए क्योंकि वहां पूरी बेतवा नदी जहरीली हो गई है, उसका पानी प्रदूषित हो गया है, वहां पर 200-300 कारखाने हैं और जिनका सारा का सारा एफ्ल्युएंट जो है इस नदी में आ मिलता है। इसलिए यह प्लांट वहां लगा कर बेतवा नदी को जहरीली होने से बचाइए। इसके साथ ही बेरोजगारी उन्मूलन के लिए और सड़कों की दुर्घवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस ओर भी ध्यान देना होगा।

महोदया, आपने जल्दी खत्म करने को कहा, तो मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बिप्लव दास जी, आप बोलेंगे।

श्री बिप्लव दासगुप्त: नो।

श्री महेश्वर सिंह: मैडम, क्या कारण है कि आज इन सबकी बोलती बंद है, कोई साथ छोड़ गया है क्या?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी, आप बोलिए।

SHRI P. CHIDAMBARAM: madam, I am grateful to the three hon. Members who

spoken on the supplementary demands. I don't wish to take more than a minute or two. These are supplementary demands and these arise out of the needs that have arisen since we presented the Budget in July. As I highlighted in my opening statement, I have provided Rs. 1,200 crores for Defence. Virtually, all of this is provided under the revenue account. The hon. Members might remember that the Budget provided an increase of a little over-Rs.900 crores in the capital account. But I have maintained the revenue expenditure at about the same level of last year. I promised that during the course of the year if there are requirements we would provide more. Accordingly, I have provided Rs. 1,200 crores under the revenue account. This will bring a balance between capital expenditure and revenue expenditure. We have also provided Rs. 650 crores for Jammu and Kashmir—I think that is important—Rs. 585 crores by way of grant and Rs. 65 crores by way of loan. I believe that this is the way in which Parliament affirms its solidarity with the people of Jammu and Kashmir and tells them, "You have come through adversity, you have gone through the fire of elections and you have elected a popular Government. The rest of the country stand by you and Parliament stand by you." As a tribute to the remarkable work done by our Space scientists and the work they continue to do, we are providing an additional sum of Rs. 150 crores for Space. Madam, additional Central allowance for externally aided projects is an important instrument for devolving funds upon States to spend on projects which are externally aided. Last year, the Government provided only Rs. 2,500 crores. When they came to the Revised Estimate, we provided Rs. 3,000 crores. But Rs. 1,100 crores of last year's bill have spilled over to this year and we are picking up that bill this year. Although I have provided Rs. 2,500 crores under the BE, since I have to provide another Rs. 1,100 crores pertaining to last year, I am now seeking an additional provision of Rs. 1,000 crores under the additional Central allowance. In all other areas we are making some adjustments from revenue account to capital account or vice versa. We are finding savings within the revenue account or within the capital account and appropriating it to other heads of revenue

or capital as the case may be. I wish to draw the attention of the House to the Pulse Polio Immunisation Programme for which we have provided Rs. 25 crores. For the India Population Project, we have provided Rs. 12 crores and for the Watershed Development Programme we have provided Rs. 4 crores. The last but not the least is the Khadi and Village Industries. An additional provision of Rs. 50 crores is being made towards rebate on khadi. As you all know, the Budget was presented in July. It was passed only on the 13th September. Therefore, the spending this year is bound to be a little slow. But it will pick up as the year comes to an end. I am confident that most of the Ministries and Departments would be able to spend the monies allotted to them both under the capital account and the revenue account. With these words, I request the House to kindly return the Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1996-97, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN: we shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I beg to move;

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE UTTAR PRDESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1996 (CONTD.)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P.CHIDAMBARAM): Madam, I beg to move: